अनुसूचित जनजाति स्माल बिजनेष योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम :– श्री राधेलाल धुर्वे
पिता का नाम :– श्री दषरथसिंह धुर्वे
पता :– कांदापारा, पो.बैजलपुर, तह. बोड़ला, जिला कबीरधाम
व्यवसाय स्थल :– कांदापारा, पो.बैजलपुर, तह. बोड़ला, जिला कबीरधाम
वितरित ऋण राषि :– 7,25,000/–
व्यवसाय :– ट्रेक्टर ट्राली
वर्श :– 2014–15

मैं श्री राधेलाल धुर्वे पिता श्री दषरथसिंह धुर्वे ग्राम कांदापारा, पो.बैजलपुर, तह. बोड़ला,जिला कबीरधाम जाति गोंड़ जिला कबीरधाम का हूं, मैं पांचवी तक षिक्षा प्राप्त किया था। मेरा वार्शिक आय 60,000/– है। मेरे पास कृशि भूमि लगभग 06 एकड़ है, परंतु ट्रेक्टर ट्राली नहीं होने के कारण समय पर कृशि कार्य संचालित करने में आर्थिक स्थिति खराब था। ग्राम कांदापारा एवं आस–पास के गांव वाले को भी किराये पर ट्रेक्टर ट्राली की आवष्यकता था। जनपद पंचायत बोड़ला के माध्यम से मुझे पता चला कि कम ब्याज पर पसंद अनुसार जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति कबीरधाम द्वारा ट्रेक्टर ट्राली हेतु ऋण मिलता है, मैं तत्काल कार्यालय से संपर्क कर ट्रेक्टर ट्राली हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया, जिसमें निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, ड्रायविंग लायसेंस, षपथ पत्र प्रस्तुत किया, व अपने पंसद अनुसार महेन्द्रा ट्रेक्टर्स का कोटेषन प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 20.10.2014 को अधिकृत डीलर से 7,25,000/– रू. का ट्रेक्टर ट्राली प्राप्त हुआ, अब मेरे पास ट्रेक्टर ट्राली होने से कृशि कार्य समय पर हो रहा है, एवं गांव में व आस–पास के गांव में किराये से ट्रेक्टर ट्राली उपलबध कराता हूं। मेरे द्वारा 14239/– रू. मासिक किष्त नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। मासिक किष्त चुकाने के उपरांत भी मुझे 15,000/– रू. मासिक आमदनी हो रहा है। जिससे मेरा आर्थिक स्थिति में सुधाऱ हुआ है, आने जाने के लिए मोटर सायकल खरीदा हूं। मेरा स्वयं के कृशि कार्य एवं गांव व आप पास के गांव में कृशि कार्य हो रहा है। समय पर ऋण आदयगी पूर्ण होने के उपरांत ट्रेक्टर ट्राली का मालिक मैं स्वयं बन जाऊंगा। उक्त योजना में लाभान्वित होने के परिणाम स्वरूप मेरा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है व समाज में व गांव में एवं गांव के आस पास में मेरा प्रतिश्ठा बढ़ा, जिसका श्रेय छ.ग.षासन एवं जिला अंत्यावसायी समिति कबीरधाम देता हूं।

अनुसूचित जनजाति स्माल बिजनेष योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम :— श्री चंद्रकुमार पंद्राम
पिता का नाम :— श्री बरनू पंद्राम़
पता :— चतरी, पोस्ट कोदवागोड़ानतह. पण्डरिया, जिला कबीरधाम
व्यवसाय स्थल :— चतरी, पोस्ट कोदवागोड़ान तह.पण्डरिया, जिला कबीरधाम
वितरित ऋण राषि :— 1,00,000/—
व्यवसाय :— किराना दुकान
वर्श :— 2013—14

मैं श्री चंद्रकुमार पंद्राम पिता श्री बरनू पंद्राम़ ग्राम चतरी, पोस्ट कोदवागोड़ान तह. पण्डरिया, जिला कबीरधाम का हूं, मैं आठवी तक षिक्षा प्राप्त किया हूं, ऋण लेते समय मेरा वार्शिक आय 30,000/— रू. था। मै छोटे रूप में किराना का दुकान विगत दो वर्शो से संचालित कर रहा था। जिसकी इकाई लागत 20,000/— था, मैं मेरा माता, पिता, पत्नी व दो बच्चे है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण परिवार का भरण पोशण व बच्चों का षैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा था। दुकान का विस्तार करना चाह रह था, परंतु पूंजी के आभाव में यह कार्य असंभव था, एक दिन दैनिक समाचार के माध्यम से पता चला कि आदिवासी बेरोजगार युवक—युवतियों को उनके द्वारा चयनित व्यवसाय हेतु ऋण दिया जा रहा है। ऋण हेतु तत्काल कवर्धा जाकर कलेक्टर कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम से संपर्क कर आवेदन प्राप्त किया व निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया, ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 17.02.2014 को किराना दुकान के लिए 1,00,000/— रू. ऋण प्राप्त हुआ। जिसमें संपूर्ण राषि का समान खरीद कर अच्छे से व्यवसाय संचालित कर रहा हूं, मेरे द्वारा मासिक किष्त राषि नियमित रूप से जमा किया जा रहा है, मासिक किष्त राषि जमा करने के उपरांत मेरा मासिक आमदनी 7000/— प्रतिमाह हो रहा है, जिसमें मेरा आर्थिक स्थिति में सुधार का श्रेय छ.ग.षासन एवं जिला अंत्यावसायी समिति कबीरधाम देता हूं, व आदिवासी बेरोजगार युवक युवतियों से आग्रह करता हूं कि आदिवासी स्वरोजगार योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बने।

अनुसूचित जनजाति स्माल बिजनेष योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम :— श्री लीलागर
पिता का नाम :— श्री पेखन
पता :— बाघुटोला, पोस्ट कवर्धा, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम
व्यवसाय स्थल :— बाघुटोला, पोस्ट कवर्धा, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम
वितरित ऋण राषि :— 1,00,000 ⁄ —
व्यवसाय :— किराना दुकान
वर्श :— 2014—15

मैं लीलागर पिता श्री पेखन ग्राम बाघुटोला, पोस्ट कवर्धा, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम का हूं, मेरे द्वारा पूर्व में छोटे रूप में किराना दुकान संचालित किया जा रहा था। मेरा वार्शिक आय 25000 ⁄ — रू. था। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दुकान का विस्तार नहीं कर पा रहा था। स्थानीय दैनिक समाचाार पत्र के माध्यम से पता चला कि अनुसूचित जनजाति स्माल बिजनेष योजना के तहत् चयनित व्यवसाय हेतु ऋण दिया जा रहा है, तब मैने कलेक्टर कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम में उपस्थित होकर निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 19.01.2015 को किराना दुकान के लिए 1,00,000 ⁄ — रू. प्राप्त हुआ। मेरे द्वारा मासिक किष्त राषि नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। उक्त व्यवसाय से मुझे 6000 ⁄ — प्रतिमाह षुद्ध आय हो रहा है। जिससे मेरा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है एवं अपने परिवार का भरण—पोशण एवं बच्चों का षिक्षा की व्यवस्था सही ढंग से कर पा रहा हूं। जिसका श्रेय मैं छ.ग.षासन एवं जिला अंत्यावसायी समिति कबीरधाम को दिया।

अनुसूचित जनजाति स्माल बिजनेष योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम :— श्री कमलेषसिंह धुर्वे

पिता का नाम :— श्री दानीसिंह धुर्वे जाति गोंड़

पता :— खण्डसरा, पोस्ट मड़मड़ा, तह. बोड़ला, जिला कबीरधाम

व्यवसाय का स्थल :— घोठिया रोड कवर्धा

वितरित ऋण राषि :— 1,00,000 / —

व्यवसाय :— कम्प्यूटर प्रिंटिंग दुकान

वर्श :— 2014—15

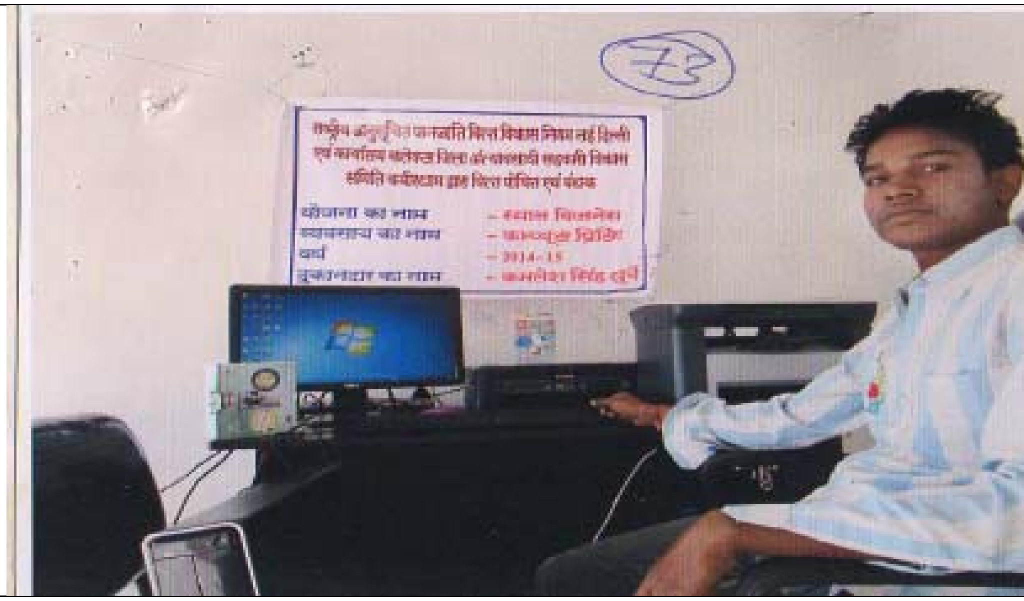

मैं श्री कमलेषसिंह धुर्वे पिता श्री दानीसिंह धुर्वे ग्राम खण्डसरा, पोस्ट मड़मड़ा, तह. बोड़ला, जिला कबीरधाम का हूं, मैं बारहवी व आई.टी.आई. षिक्षा प्राप्त किया हूं। बेरोजगारी के चलते षासकीय सेवा के लिए भी प्रयास किया था, परंतु नौकरी कंही नहीं मिला। कम्प्यूटर प्रिंटिंग का कार्य करना चाहता था परंतु आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण व्यवसाय स्थापित नहीं कर पा रहा था, मेरा वार्शिक आय 20,000 / — रू. था। बेरोजगारी के कारण हताष होकर एक दिन हॉटल में बैठ कर दैनिक समाचार पड़ रहा था, तभी समाचार के माध्यम से पता चला कि अनुसूचित जनजाति योजना के तहत् व्यवसाय हेतु ऋण दिया जा रहा है, मैं तत्काल कलेक्टर कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम से संपर्क कर आवेदन आमंत्रित किया गया, व निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 23.12.2014 को कम्प्यूटर प्रिंटिंग के लिए 1,00,000 / — रू. ऋण प्राप्त हुआ। व घोठिया रोड कवर्धा में किराये के मकान में कम्प्यूटर प्रिंटिंग कार्य संचालित किया। मेरे द्वारा निर्धारित मासिक किष्त प्रतिमाह जमा किया जा रहा है, किष्त अदायगी के उपरांत मेरा षुद्ध मासिक आय 12000 / — रू. है। जिससे मेरा बेरोजगारी दुर हुआ व आर्थिक रूप से स्वावलम्बन बना एवं व्यवसाय की प्रति रूचि हुआ जिसमें मेरा समाज में प्रतिश्ठा बढ़ा जिसका श्रेय छ.ग.षासन एवं जिला अंत्यावसायी समिति कबीरधाम देता हूं।

अनुसूचित जनजाति स्माल बिजनेष योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम :— कमलसिंह मण्डावी

पिता का नाम :— श्री भादूराम मण्डावी

पता :– बगदेई, पोस्ट गोछिया तहसील स.लोहारा जिला कबीरधाम
व्यवसाय का स्थल :– बगदेई, पोस्ट गोछिया तहसील स.लोहारा जिला कबीरधाम
वितरित ऋण राषि :– 1,00,000 / –
व्यवसाय :– किराना दुकान
वर्श :– 2014–15

मैं कमलसिंह मण्डावी पिता श्री भादूराम मण्डावी ग्राम बगदेई, पोस्ट गोछिया तहसील स.लोहारा जिला कबीरधाम का हूं, मैं बारहवी तक षिक्षा प्राप्त किया था। मेरा परिवार में मैं माता पिता एवं मेरा पत्नी है। मेरा वार्शिक आय 20,000 / – रू. है। बेरोजगार एवं आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मेरा परिवार भरण पोशण नहीं चला पा रहा था। व्यवसाय करना चाता था लेकिन पूंजी के आभाव में व्यवसाय नहीं कर पा रहा था। मेरे गांव की आबादी लगभग 500 है, जांहा एक किराना दुकान संचालित हो रहा था, वांहा एक दुकान की और आवष्यकता था, बेरोजगारी के चलते रोजगार के तालाष में कलेक्टर कार्यालय कवर्धा पंहूचा वांहा मुझे बताया गया कि स्वयं के चयनित व्यवसाय के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति कबीरधाम ऋण दिया जा रहा है। मैं व्यवसाय हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया, जिसमें निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 19.01.2015 को किराना दुकान के लिए 1,00,000 / – रू. ऋण प्राप्त हुआ, जिसमें संपूर्ण राषि का समान खरीद कर दुकान संचालित कर रहा हूं, मेरे द्वारा निर्धारित मासिक किष्त प्रतिमाह जमा किया जा रहा है। किष्त अदायगी के उपरांत मेरा षुद्ध मासिक आय 6000 / – रू. है। मेरा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जिसका श्रेय छ.ग.षासन एवं जिला अंत्यावसायी समिति कबीरधाम देता हूं।

पिछड़ा वर्ग न्यू स्वर्णिमा (महिला) योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम :– श्रीमती सरस्वती कुम्भकार
पति का नाम :– श्री बाबूराम कुम्भकार
पता :– जोकपानी पोस्ट बैजलपुर, तह. बोड़ला, जिला कबीरधाम

व्यवसाय का स्थल :— जोकपानी पोस्ट बैजलपुर, तह. बोड़ला, जिला कबीरधाम

वितरित ऋण राषि :— 1,00,000 ⁄ —

व्यवसाय :— मनिहारी दुकान

वर्श :— 2013—14

मैं श्रीमती सरस्वती कुम्भकार पति श्री बाबूराम कुम्भकार वनांचल जोकपानी पोस्ट बैजलपुर, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम का हूं। मेरी षैक्षणिक योग्यता आठवी उत्तीर्ण तक है। मेरी वार्शिक आय 21,000 ⁄ — रू. थी। मेरे पति द्वारा छोटे रूप में अनाज के खरीदी बिक्री का कार्य किया जा रहा था। जिससे परिवार का भरण पोशण नही हो पा रही थी, ग्राम जोकपानी एवं आस पास के गांव में मनिहारी दुकान की आवष्यकता को देखते हुये मैं मनिहारी व्यवसाय करना चाहती थी परंतु इसमें सबसे बड़ी आभाव पूंजी का था। एक दिन मेरे पति जिला कार्यालय कवर्धा गये थे, वांहा उनको पता चला कि राश्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की नवीन योजना न्यू स्वर्णिमा (महिला) जो कि केवल जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम द्वारा संचालित है। मै कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन आमंत्रित कर निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 20.03.2014 को मनिहारी दुकान के लिए 1,00,000 ⁄ — रू. प्राप्त हुआ। मेरे द्वारा मासिक किष्त राषि नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। मैं और मेरा पति द्वारा आस पास के गांव, बाजार में छोटे माल वाहक से वाहन में मनिहारी समान ले जा कर बेचते है। उक्त व्यवसाय से मुझे षुद्ध 15,000 ⁄ — रू. आय हो रही है। जिससे मेरा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है एवं अपने परिवार का भरण—पोशण में भागीदारी बनी। इस योजना की इकाई लागत 2.00 लाख रू. किया जाना चाहिये। मै इस प्रगति से श्रेय राश्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम नई दिल्ली एवं जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति कबीरधाम को देती हूं।

पिछड़ा वर्ग जनरल लोन (व्यक्तिमूलक) योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम :— श्री राजेन्द्रकुमार साहू

पिता का नाम :— श्री हेमंत साहू

पता :— ग्राम पोस्ट रवेली तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम

व्यवसाय स्थल :— ग्राम पोस्ट रवेली तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम

वितरित ऋण राषि	:–	1,00,000 / –
व्यवसाय	:–	मोबाईल षॉप
वर्श	:–	2014–15

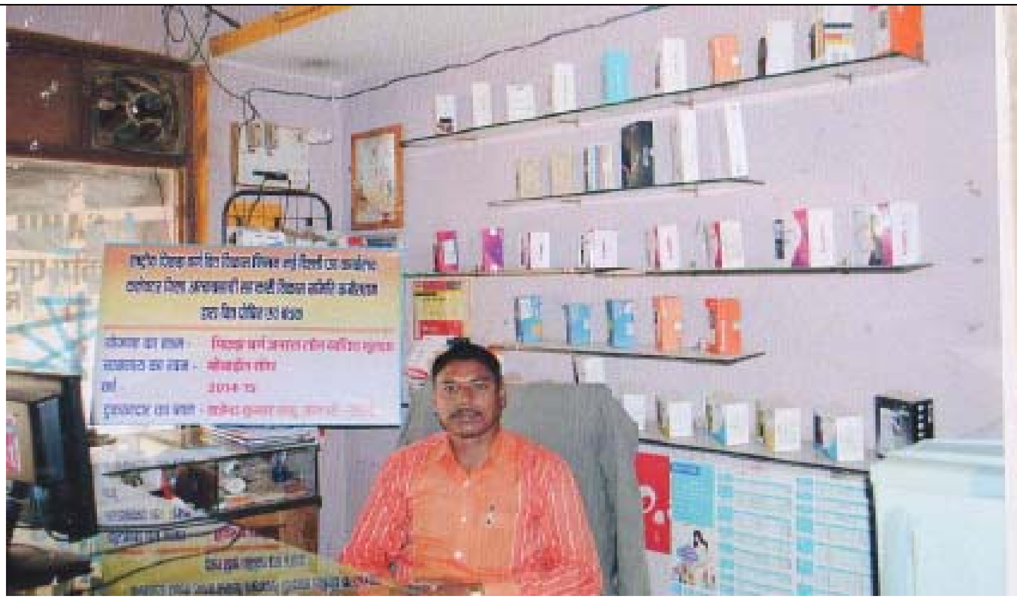

मैं श्री राजेन्द्रकुमार साहू पिता श्री हेमंत साहू ग्राम पोस्ट रवेली तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम का हूं, मेरा षैक्षणिक योग्यता बारहवी उत्तीर्ण होने के बाद मोबाईल रिपेयरिंग का कार्य सीखा। मोबाईल रिपयरिंग का हुनर मेरे पास था, परंतु आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मोबाईल रिपयेरिंग का दुकान नहीं खोल पा रहा था। मेरा वार्शिक आय 25000 / – रू. था। तभी दैनिक समाचार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम द्वारा राश्ट्रीय पिछड़ा वर्ग व्यक्तिमूलक योजना के तहत् चयनित व्यवसाय हेतु ऋण दिया जा रहा है, तब मैने जिला अंत्यावसायी विभाग में संपर्क कर आवेदन आमंत्रित कर निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 23.01.2015 को 1,00,000 / – रू. प्राप्त कर मोबाईल रिपेयरिंग दुकान संचालित किया। मेरे द्वारा मासिक किष्त राषि नियमित रूप से जमा किया जा रहा है, एवं मेरा मोबाईल षॉप दुकान अच्छे चल रहे है। उक्त व्यवसाय से मुझे लगभग 12000 / – प्रतिमाह षुद्ध आय हो रहा है। जिससे मेरा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है एवं अपने परिवार का भरण–पोशण ठीक ढंग से कर पा रहा हूं। जिसका श्रेय मैं राश्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम नई दिल्ली एवं जिला अंत्यावसायी समिति कबीरधाम को दिया।

पिछड़ा वर्ग जनरल लोन (व्यक्तिमूलक) योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम	:–	श्री उदितनारायण चंद्रवंषी
पिता का नाम	:–	श्री मुनीराम चंद्रवंषी
पता	:–	ग्राम पोस्ट मोहगांव, तहसील पण्डरिया, जिला कबीरधाम
व्यवसाय स्थल	:–	बाजार चौक मोहगांव, तहसील पण्डरिया, जिला कबीरधाम
वितरित ऋण राषि	:–	1,00,000 / –
व्यवसाय	:–	किराना दुकान

वर्श :— 2014—15

मैं श्री उदितनारायण चंद्रवंषी पिता श्री मुनीराम चंद्रवंषी ग्राम पोस्ट मोहगांव, तहसील पण्डरिया, जिला कबीरधाम का हूं, मैं अपना षिक्षा दसवी तक प्राप्त किया था। पूर्व में मेरा एक छोटे रूप में किराना दुकान संचालित कर रहा था। मेरा वार्शिक आय 18,000/— रू. था। मेरा परिवार में मैं मेरा माता पिता, एक बहन है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दुकान का विस्तार नहीं कर पा रहा था। मुझे दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम द्वारा चयनित व्यवसाय हेतु ऋण दिया जा रहा है, तब मैने जिला अंत्यावसायी विभाग में संपर्क कर आवेदन आमंत्रित कर निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 05.11.2014 को किराना दुकान के लिए 1,00,000/— रू. प्राप्त हुआ। मेरे द्वारा मासिक किष्त राषि नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। उक्त व्यवसाय से मुझे लगभग 7000/— प्रतिमाह षुद्ध आय हो रहा है। जिससे मेरा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है जिसका श्रेय मैं छ.ग.षासन एवं जिला अंत्यावसायी समिति कबीरधाम को दिया।

पिछड़ा वर्ग जनरल लोन (व्यक्तिमूलक) योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम :— द्वारिकाप्रसाद

पिता का नाम :— श्री दुकलहाराम

पता :— ग्राम कंझेटा, पोस्ट कोलेगांव, तह. पण्डरिया

व्यवसाय स्थल :— ग्राम कंझेटा, पोस्ट कोलेगांव, तह. पण्डरिया

वितरित ऋण राषि :— 1,00,000/—

व्यवसाय :— कम्प्यूटर फोटोकापी

वर्श :— 2014—15

मैं द्वारिकाप्रसाद पिता श्री दुकलहाराम ग्राम कंझेटा, पोस्ट कोलेगांव, तह. पण्डरिया जिला कबीरधाम का हूं, मेरा वार्शिक आय 30000/– था। मैं अपना षिक्षा बारहवी तक प्राप्त करने के उपरांत कम्प्यूटर टायपिंग प्रषिक्षण प्राप्त किया हूं, जिला व्यापार एवं उद्योग कबीरधाम एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रषिक्षण प्राप्त किया हूं। आई. सेक्ट के माध्यम से चॉइस सेन्टर खोलने का अधिकृत किया गया। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण चॉइस सेन्टर संचालित करने के लिए कम्प्यूटर एवं फोटो कापी मषीन खरीद नहीं पा रहा था एवं मेरे सामने मेरे परिवार के भरण पोशण के लिए विकराल स्थिति उत्पन्न हो गया था। उसी दौरान दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से चयनित व्यवसाय आवेदन आमंत्रित कर निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 05.11.2014 को 1,00,000/– रू. प्राप्त किया, जिससे कम्प्यूटर फोटोकापी खरीद कर चॉइस सेन्टर संचालित कर रहा हूं, मेरे द्वारा चॉइस सेन्टर में ग्राम कंझेटा एवं आस पास के 15–20 गांव में आधार, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाईन फार्म का कार्य करवाया जाता है। जिससे नियमित किष्त 1868/– रू. जमा करने के उपरांत 20,000/– षुद्ध आमदनी हो रहा है। इस प्रकार केन्द्र षासन एवं छ.ग. षासन से मेरा बेरोजगारी दुर हुआ। व आर्थिक रूप से स्वावलम्बन बना। मैं श्रेय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम को देता हूं। साथ ही इस योजना का इकाई लागत 1.00 लाख रू. से बढ़ाकर 2.00 लाख रू. करने का सुझाव देता हूं।

पिछड़ा वर्ग टर्म लोन योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम	:–	श्री नीलेषकुमार
पिता का नाम	:–	श्री अषोकुमार श्रीवास
पता	:–	मठपारा कवर्धा, तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम
व्यवसाय स्थल	:–	बजरंग चौक कवर्धा जिला कबीरधाम
वितरित ऋण राषि	:–	50,000/–
व्यवसाय	:–	सेलून दुकान
वर्श	:–	2013–14

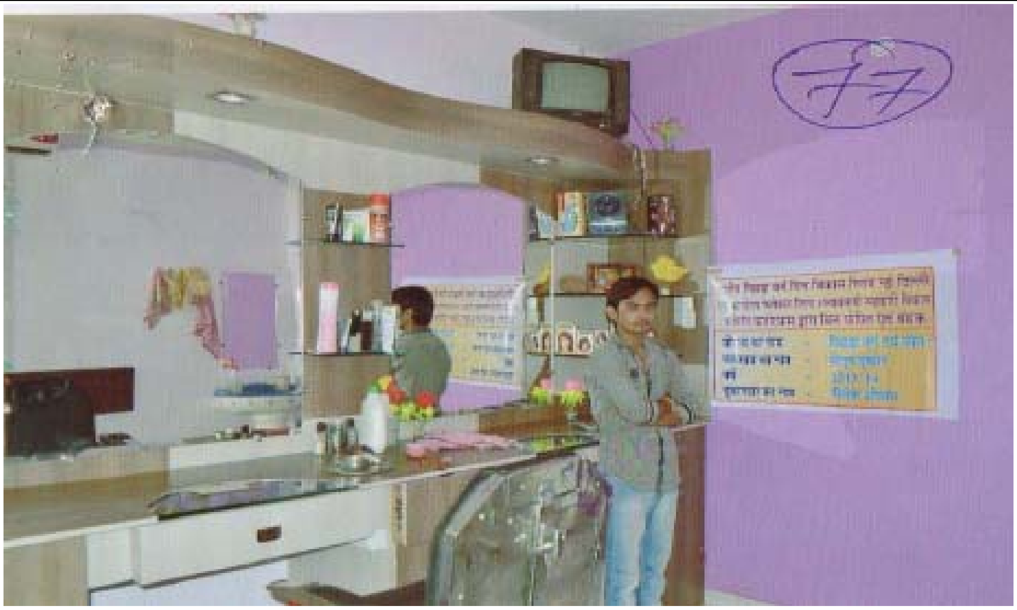

मैं श्री नीलेषकुमार पिता श्री अषोकुमार श्रीवास पता मठपारा कवर्धा, तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम का हूं, मैं अपना षिक्षा 11वीं तक प्राप्त किया था। मेरा वार्शिक आय 25,000/– रू. था। मैं अपना परामपरिक व्यवसाय सेलून करना चाहता था, परंतु पूंजी के आभाव में नहीं कर पा रहा था। बाजार एवं बैंक से अधिक ब्याज होने के कारण ऋण नहीं ले पा रहा था व अपने भविश्य के प्रति चिंता था। इस दौरान एक दिन दैनिक समाचार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि राश्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के टर्म लोन योजना में 50,000/– रू. का ऋण दिया जा रहा है। मैं तत्काल कलेक्टर कार्यालय जिला अंत्यावसायी विभाग में संपर्क कर आवेदन आमंत्रित कर निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 06.01.2014 को 1,00,000/– रू. सेलून व्यवसाय के लिए प्राप्त हुआ, जिसका मैं बजरंग चौक कवर्धा में किराया के मकान से सेलून व्यवसाय प्रारंभ किया। दुकान के किराये एवं मासिक किष्त चुकाने के उपरांत मासिक षुद्ध आमदनी 12000/– रू. हो रहा है। मुझे अपने व्यवसाय करने से आर्थिक रूप से स्वावलम्बन बना। मैं श्रेय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम को देता हूं।

अनुसूचित जाति वर्ग ट्रेक्टर ट्राली योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम :– कोमलप्रसाद
पिता का नाम :– श्री जनकराम
पता :– बिजई पोस्ट सोनबरसा, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम
व्यवसाय स्थल :– बिजई पोस्ट सोनबरसा, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम
वितरित ऋण राषि :– 7,25,000/–
व्यवसाय :– ट्रेक्टर ट्राली
वर्श :– 2014–15

मैं श्री कोमलप्रसाद पिता श्री जनकराम ग्राम बिजई पोस्ट सोनबरसा, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम का हूं, मैं दसवी तक षिक्षा प्राप्त किया था। मेरा वार्शिक आय 25,000/– है। मेरे पास कृशि भूमि लगभग 08 एकड़ था, लेकिन समय पर कृशि कार्य करने के लिए ट्रेक्टर ट्राली नहीं था, जिसमें कृशि कार्य प्रभावित होने के कारण आर्थिक स्थिति खराब चल रहा था। ट्रेक्टर ट्राली खरीदने के लिए पूंजी नहीं हो पा रहा था, एक दिन जिला कार्यालय में पता चला कि राश्ट्रीय अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जिला अंत्यावसायी विकास समिति कबीरधाम द्वारा कम ब्याज पर अपने पसंद अनुसार ट्रेक्टर ट्राली हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मैं तत्काल कार्यालय से संपर्क कर ट्रेक्टर ट्राली हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया, जिसमें निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, ड्रायविंग लायसेंस, षपथ पत्र प्रस्तुत किया, व अपने पंसद अनुसार जॉन डियर ट्रेक्टर का कोटेषन का प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 08.01.2014 को अधिकृत डीलर से 7,25,000/– रू. का ट्रेक्टर ट्राली प्राप्त हुआ, अब मेरे पास ट्रेक्टर ट्राली होने से कृशि कार्य समय पर हो रहा है, मेरे द्वारा 14239/– रू. मासिक किष्त नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। मासिक किष्त चुकाने के उपरांत भी मुझे 30,000/– रू. मासिक आमदनी हो रहा है। जिससे मेरा आर्थिक स्थिति में सुधाऱ हुआ है, समय पर ऋण आदयगी पूर्ण होने के उपरांत ट्रेक्टर ट्राली स्वयं का हो जायेगा। जिसका श्रेय राश्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम नई दिल्ली एवं जिला अंत्यावसायी समिति कबीरधाम देता हूं।

अनुसूचित जाति वर्ग पैसेंजर व्हीकल योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम :– मानसिंह

पिता का नाम :– मन्नुराम

पता :– धरमपुरा पोस्ट धरमपुरा, तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम

वितरित ऋण राषि :– 3,50,000/–

व्यवसाय :– पैसेंजर व्हीकल

वर्श :– 2014–15

मैं श्री मानसिंह पिता श्री मन्नुराम ग्राम धरमपुरा पोस्ट धरमपुरा, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम का हूं, मैं आठवी तक षिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ड्रायवर का कार्य कर रहा था। मेरा वार्शिक आय 25,000/– था। प्रावेट ड्रावर कार्य से मुझे 3000 रू. मासिक आय होता था, जिससे मुझे परिवार का गुजारा एवं बच्चो का पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा था। यात्री वाहन के लिए मैं निजी फायनेंसर एवं बैंकों से संपर्क किया पंरतु अत्याधिक ब्याज होने के कारण वाहन खरीदना मेरे बस में नहीं था। एक दिन दैनिक समाचार पत्रों में पता चला कि जिला अंत्यावसायी विकास समिति कबीरधाम द्वारा कम ब्याज पर पैसेंजन कैरियर हेतु ऋण दिया जा रहा है। मैं कार्यालय में जाकर आवेदन आमंत्रित कर निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, ड्रायविंग लायसेंस, षपथ पत्र प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 03.10.2013 को मेरे पसंद अनुसार अधिकृत डीलर से 3,50,000/– रू. का टाटा मैजिक प्राप्त हुआ, जिसमें मुझे मासिक किष्त नियमित रूप से अदा करने के उपरांत षुद्ध मासिक आय 15000/– रू. हो रहा है। जिससे मेरा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, समय पर ऋण आदयगी पूर्ण होने के उपरांत वाहन स्वयं का हो जायेगा। जिसका श्रेय केन्द्र षासन एवं जिला अंत्यावसायी समिति कबीरधाम देता हूं।

अनुसूचित जाति वर्ग स्माल बिजनेष योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम :– बिषनाथ खरे
पिता का नाम :– श्री दुखुवा खरे
पता :– बहरमुड़ा, पोस्ट इंदौरी, तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम
व्यवसाय स्थल:– बस स्टैण्ड इंदौरी, तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम
वितरित ऋण राषि :– 1,00,000/–
व्यवसाय :– जुता चप्पल दुकान
वर्श :– 2014–15

मैं बिषनाथ खरे पिता श्री दुखुवा खरे ग्राम बहरमुड़ा, पोस्ट इंदौरी तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम का हूं, मेरी जाति मोची (अनुसूचित जाति) है। हमारे समाज का पराम्परिक व्यवसाय जुता चप्पल निर्माण कर बेचना है। मैं पराम्परिक व्यवसाय करना चाहता था परंतु गरीबी एवं आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण नहीं कर पा रहा था। मेरे परिवार में मैं मेरी पत्नी व दो बच्चे कुल चार सदस्य है। दैनिक मजदूरी का कार्य कर रहा था। जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोशण व बच्चों का षैक्षणिक कार्य गरीबी एवं बेरोजगारी के चलते नहीं हो पा रहा था। जिसके चलते मैं अत्याधिक अपने परिवार के भरण पोशण के लिए चिंतित था, तभी दैनिक समाचार पत्रों एंव समाज के माध्यम से पता चला जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम द्वारा चयनित व्यवसाय हेतु ऋण दिया जा रहा है, तब मैने जिला अंत्यावसायी विभाग में संपर्क कर आवेदन प्राप्त कर निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 01.03.2014 को 100000/— प्राप्त हुआ । जिसका जुता चप्पल खरीद कर बस स्टैण्ड इंदौरी में किराये के मकान में व्यवसाय संचालित कर रहा हूं। मेरे द्वारा मासिक किष्त राषि नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। उक्त व्यवसाय से मुझे लगभग 7000/— प्रतिमाह षुद्ध आय हो रहा है। जिससे मेरा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है एवं अपने परिवार का भरण पोशण एवं बच्चे का षिक्षा अच्छे ढंग से कर पा रहा हू व दैनिक मजदूरी करने के बंधन से मुक्त होकर स्वयं का व्यवसाय कर रहा हूं। जिसका श्रेय मैं छ.ग.षासन एवं जिला अंत्यावसायी समिति कबीरधाम को दिया।

अनुसूचित जाति वर्ग स्माल बिजनेष योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम :— श्री नंदु गंधर्व

पिता का नाम :— श्री सालिकराम गंधर्व

पता :— बड़ौदाकला पोस्ट दैहानडीह तह. स.लोहारा जिला कबीरधाम

वितरित ऋण राषि :— 1,00,000/—

व्यवसाय :— किराना दुकान

वर्श :— 2014—15

मैं श्री नंदु गंधर्व पिता श्री सालिकराम गंधर्व ग्राम बड़ौदाकला पोस्ट दैहानडीह तह. स.लोहारा जिला कबीरधाम का हूं, मैं बारहवी षिक्षा प्राप्त किया हूं। मेरे परिवार में मैं एवं मेरे मां कुल दो सदस्य है। 3000/– रू. मासिक वेतन पर प्रावेट नौकरी कर रहा था। जिससे मेरा एवं मेरे परिवार का जीवन चलना असंभव था। मन में व्यवसाय करने की इच्छा था, परंतु पूंजी के आभाव में असंभव था। बेरोजगारी के वजह से स्वयं एवं अपने परिवार के जीवन यापन के प्रति चिंतित एवं उदास था। उसी दौरान दैनिक समाचार के माध्यम से पता चला कि कलेक्टर कार्यालय जिला अंत्यावसायी विकास समिति कबीरधाम में चयनित व्यवसाय हेतु ऋण दिया जा रहा है, मैं तत्काल जिला अंत्यावसायी विभाग में संपर्क कर आवेदन आमंत्रित किया गया, व निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 11.12.2014 को 1,00,000/– रू. ऋण प्राप्त कर किराना दुकान ग्राम बड़ौदाकला संचालित कर रहा हूं। अब किराना दुकान के साथ ही आर.टी.ओ. एजेन्ट एवं अन्य छुट पुट काम कर रहा हूं। वर्तमान में निर्धारित मासिक किष्त प्रतिमाह जमा करने के उपरांत षुद्ध 11000/– रू. आमदनी हो रहा है। जिससे मेरा बेरोजगारी दुर हुआ व आर्थिक रूप से स्वावलम्बन बरा। आर्थिक स्थिति सुधरने के कारण विवाह किया। जिसका श्रेय जिला प्रषासन एवं जिला अंत्यावसायी समिति कबीरधाम है।

अनुसूचित जाति वर्ग लघु व्यवसाय योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम	:–	मन्नूराम
पिता का नाम	:–	श्री रेवाराम
पता	:–	सोढ़ा, पोस्ट रूसे, तहसील पण्डरिया जिला कबीरधाम
वितरित ऋण राषि	:–	2,00,000/–
व्यवसाय	:–	आटो पार्ट्स रिपेयरिंग
वर्श	:–	2013–14

मैं मन्नूराम पिता श्री रेवाराम ग्राम सोढ़ा, पोस्ट रूसे, तहसील पण्डरिया जिला कबीरधाम का हूं, मेरा षैक्षणिक योग्यता बारहवी तक प्राप्त है। मुझे मोटर सायकल रिपेयरिंग का कार्य आता था व छोटा सा दुकान खोलकर रिपेयरिंग का कार्य कर रहा था। मेरा वार्शिक आय 15000/– रू. था। उपरोक्त आय से मैं अपने परिवार का भरण पोशण नहीं कर पा रहा था। मोटर सायकल रिपेयरिंग का हुनर होने के बावजूद पूंजी के आभाव में दुकान का विस्तार नहीं कर पा रहा था। स्थानीय दैनिक समाचाार पत्र के माध्यम से पता चला कि राश्ट्रीय अनुसूचित जाति लघु व्यवसाय योजना के तहत् चयनित व्यवसाय हेतु ऋण दिया जा रहा है, तब मैने कलेक्टर कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम में उपस्थित होकर निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 25.06.2013 को आटो पार्ट्स के लिए 2,00,000/– रू. प्राप्त हुआ। संपूर्ण राषि का समान खरीद कर ग्राम रेवली में आटो पार्ट्स संचालित कर रहा हूं, मेरे द्वारा मासिक किष्त राषि नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। उक्त व्यवसाय से मुझे 17000/– प्रतिमाह षुद्ध आय हो रहा है। जिससे मेरा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे मैं और मेरा परिवार के जिंदगी में खुषहाली आया है। जिसका मैं कल्पना भी नहीं किया था। जिसका श्रेय मैं जिला अंत्यावसायी समिति कबीरधाम को देता हूं, व अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों को षासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाकर आर्थिक रूप से स्वावलम्बन व व्यवसाय के प्रति जागरूक होने का सलाह देता हूं।

अल्पसंख्यक वर्ग टर्म लोन योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम	:–	श्रीमती नुसरतखान
पति का नाम	:–	श्री रहीम खान
पता	:–	बुधवारा, पोस्ट पोंड़ी तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम
व्यवसाय स्थल:–		बस स्टैण्ड पोंड़ी तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम
वितरित ऋण राषि	:–	1,00,000/–
व्यवसाय	:–	जनरल दुकान
वर्श	:–	2014–15

मैं श्रीमती नुसरतखान पति श्री रहीम खान ग्राम बुधवारा, पोस्ट पोंड़ी तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम का हूं, मेरी षैक्षणिक योग्यता बारहवी उत्तीर्ण तक है। मेरी वार्शिक आय 20,000/– रू. थी। मेरे परिवार में मै मेरा पति कुल दो सदस्य है। मेरे पति द्वारा छोटे रूप में ग्राम पोंड़ी जनरल दुकान संचालित किया जा रहा था। जिससे परिवार का भरण पोशण नही हो पा रहा था। मैं पड़ी लिखी थी व व्यवसाय के प्रति रूचि था। व अपने पति के साथ अपनी भागीदारी निभाकर आर्थिक रूप से स्वावलम्बन बनने की चाह थी। परंतु पूंजी के आभाव में यह कार्य नहीं हो पा रहा था। दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम द्वारा राश्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्ग योजनाओं में चयनित व्यवसाय हेतु ऋण दिया जा रहा मै कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन आमंत्रित कर निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 26.03.2014 को जनरल दुकान के लिए 1,00,000/– रू. प्राप्त हुआ। जिसका बस स्टैण्ड चौराहे पर स्वयं की जगह पर मनिहारी दुकान संचालित कर रही हूं। उक्त व्यवसाय से मासिक किष्त षुद्ध आय 15,000/– रू. हो रहा है। मैं आर्थिक रूप से स्वालम्बी बनी। मेरे एवं मेरे परिवार की खुषाली आई। मुझे इस बात की खुषी है कि षासन अल्पसंख्यक वर्गो के उत्थान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से स्वावम्बन बनाने का कार्य की जा रही है। जिसके लिए मैं राश्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास नई दिल्ली एवं जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति कबीरधाम धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

अल्पसंख्यक वर्ग टर्म लोन योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम :– अषिकखान
पिता का नाम :– श्री नवाब खान
पता :– बजरंग चौक दषरंगपुर तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम
व्यवसाय स्थल:– बाजार चौक दषरंगपुर तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम
वितरित ऋण राषि :– 1,00,000/–
व्यवसाय :– बर्तन दुकान
वर्श :– 2014–15

मैं अषिकखान पिता श्री नवाब खान ग्राम बाजार चौक दषरंगपुर, पोस्ट दषरंगपुर, तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम का हूं। मेरा षिक्षा दसवी तक प्राप्त है। मेरा वार्शिक आय 20000/– था। मैं बाजार चौक दषरंगपुर तहसील कवर्धा में छोटे रूप से बर्तन व्यवसाय कर रहा था। दषरंगपुर एवं आस पास के गांव के लोगों का बर्तन का मांग पूर्ण नहीं कर पा रहा था। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण व्यवसाय का विस्तार नहीं हो पा रहा था। मुझे दैनिक समाचार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम द्वारा चयनित व्यवसाय हेतु ऋण दिया जा रहा है, तब मैने जिला अंत्यावसायी विभाग में संपर्क कर आवेदन आमंत्रित कर निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 23.03.2013 को बर्तन दुकान के लिए 1,00,000/– रू. प्राप्त हुआ। जिसमें संपूर्ण राषि व्यवसाय में कर दुकान विस्तार का कार्य किया । अब मैं दषरंगपुर एवं आस पास के गांव के लोंगों का बर्तन का मांग पूर्ण कर रहा हूं। मेरे आर्थिक स्थिति में सुधार हूं। उक्त व्यवसाय से मुझे लगभग 13000/– प्रतिमाह षुद्ध आय हो रहा है। अल्पसंख्यक वर्गो के उत्थान के लिए केन्द्र षासन एवं छ.ग. षासन की योजना अत्याधिक पद लाभ है। निष्चित रूप से इस योजना से अल्पसंख्यक वर्गो का आर्थिक रूप से उत्थान होगा। जिसका श्रेय मैं केन्द्र षासन एवं छ.ग.षासन को दता हूं।

अल्पसंख्यक वर्ग टर्म लोन योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम :– श्री अबुमजहर आजमी

पिता का नाम :– श्री अबुबकर आजमी

पता :– बस स्टैण्ड कुण्डा, तहसील पण्डरिया, जिला कबीरधाम

व्यवसाय स्थल :– बस स्टैण्ड कुण्डा, तहसील पण्डरिया, जिला कबीरधाम

वितरित ऋण राषि :– 1,00,000/–

व्यवसाय :– ट्रेक्टर पार्ट्स एवं रिपेयरिंग

वर्श :– 2014–15

मैं मोहम्मद अबूमजहर आजमी पिता मोहम्मद अबूबकर आजमी ग्राम पोस्ट कुण्डा, तहसील पण्डरिया जिला कबीरधाम का हूं, मैंने बारहवी उत्तीर्ण की है। मेरे परिवार में मैं मेरे पत्नी एवं एक बच्चे कुल 03 सदस्य है। ट्रेक्टर रिपेयरिंग का कार्य सिखा था। व ट्रेक्टर रखने वालों के पास बुलाने पर उनके ट्रेक्टर रिपेयरिंग का कार्य करता था। मैं ट्रेक्टर रिपेयरिंग एवं स्पेयर पार्ट्स का व्यवसाय संचालित करना चाह रहा था। परंतु पूंजी के आभाव में नहीं कर पा रहा था। तभी दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम द्वारा स्वयं के चयनित व्यवसाय हेतु ऋण दिया जा रहा, मै कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन आमंत्रित कर निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 06.12.2014 को ट्रेक्टर रिपेयरिंग सेन्टर के लिए 1,00,000/– रू. प्राप्त हुआ। जिसमें मैं स्पेयर पार्ट्स खरीद कर अपने स्वयं के जगह में बस स्टैण्ड कुण्डा जिला कबीरधाम में व्यवसाय संचालित कर रहा हूं। मेरे द्वारा मासिक किष्त राषि नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। उक्त व्यवसाय से मुझे षुद्ध 15,000/– रू. आय हो रहा है। मैं आर्थिक रूप से स्वावलम्बन बना। षासन से मेरा आग्रह है कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही व्यवसाय हेतु प्रषिक्षण भी दिया जावे। ताकि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग का उत्थान हो सके। मै श्रेय जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति कबीरधाम को देती हूं।

अल्पसंख्यक वर्ग टर्म लोन योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम :– मोहम्मद हनीफ
पिता का नाम :– मोहम्मद हुसेन
पता :– राधाकृशण वार्ड गायत्री मंदिर के पिछे कवर्धा जिला कबीरधाम
व्यवसाय स्थल :– नवीन बाजार चौक कवर्धा जिला कबीरधाम
वितरित ऋण राषि :– 2,00,000/–
व्यवसाय :– जुता चप्पल
वर्श :– 2014–15

मैं श्री मोहम्मद हनीफ पिता श्री मोहम्मद हुसेन पता राधाकृश्ण वार्ड गायत्री मेंदिर के पिछे कवर्धा, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम का हूं, मेरा षैक्षणिक योग्ता बारहवी तक प्राप्त है। मेरा वार्शिक आय 30000/– था। मैं बाजार चौक कवर्धा तहसील कवर्धा में छोटे रूप से जुता चप्पल व्यवसाय कर रहा था। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दुकान का विस्तार एवं लोगों के मांग के अनुसार समाग्री की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। जिसका मुझे मलाल था। दैनिक समाचार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम द्वारा अल्पसंख्यक टर्म लोन योजना के तहत् चयनित व्यवसाय हेतु ऋण दिया जा रहा है, तब मैने जिला अंत्यावसायी विभाग में संपर्क कर आवेदन आमंत्रित कर निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 16.02.2015 को जुता चप्पल दुकान के लिए 2,00,000/– रू. प्राप्त हुआ। जिसमें संपूर्ण राषि व्यवसाय में लगाकर दुकान विस्तार का कार्य किया । अब मैं कवर्धा एवं आस पास के गांव के लोंगों का जुता चप्पल का मांग पूर्ण कर रहा हूं। मेरे आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। उक्त व्यवसाय से मुझे लगभग 20,000/– प्रतिमाह षुद्ध आय हो रहा है। अल्पसंख्यक वर्गो के उत्थान के लिए केन्द्र षासन एवं छ.ग.षासन की योजना अत्याधिक पद लाभ है। निष्चित रूप से इस योजना से अल्पसंख्यक वर्गो का आर्थिक रूप से उत्थान होगा। जिसका श्रेय मैं केन्द्र षासन एवं छ.ग.षासन को दता हूं।

अल्पसंख्यक वर्ग टर्म लोन योजना

(सफलता की कहानी)

हितग्राही का नाम :– श्री मुस्तकीमअली

पिता का नाम :– श्री महमुद अली

पता :– छोटे मस्जिद के पास कवर्धा तह. कवर्धा जिला कबीरधाम

व्यवसाय स्थल :– छोटे मस्जिद के पास कवर्धा तह. कवर्धा जिला कबीरधाम

वितरित ऋण राषि :– 1,00,000/–

व्यवसाय :– किराना दुकान

वर्श :– 2014–15

मैं श्री मुस्तकीमअली पिता श्री महमुद अली पता छोटे मस्जिद के पास कवर्धा तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम का हूं। मैंने पांचवी उत्तीर्ण की है। मेरा वार्शिक आय 25000/- रू. था। मेरे परिवार में मैं मेरा माता पिता, दो बहन कुल 05 सदस्य है। मैं बेरोजार था। व्यवसाय के प्रति रूचि तो था पर पूंजी के आभाव में नहीं कर पा रहा था। स्थानीय दैनिक समाचाार पत्र के माध्यम से पता चला कि अल्पसंख्यक वर्ग टर्म लोन योजना के तहत् अपने पसंद अनुसार चयनित व्यवसाय हेतु ऋण दिया जा रहा है, तब मैने कलेक्टर कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम में उपस्थित होकर निर्धारित आवेदन में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, षपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया। ऋण दस्तावेज का औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मुझे दिनांक 19.01.2015 को जनरल दुकान के लिए 1,00,000/- रू. प्राप्त हुआ। मेरे द्वारा मासिक किष्त राषि नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। उक्त व्यवसाय से मुझे 10,000/- प्रतिमाह षुद्ध आय हो रहा है। मैं आर्थिक रूप से स्वावलम्बन हुआ। मेरा बेरोजगारी दुर हुआ, जिसका श्रेय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी समिति कबीरधाम को दिया।

अनुसूचित जाति मिनीमाता स्वावलम्बन योजना

(सफलता की कहानी)

नाम :- श्री षौखीराम
पिता का नाम :- श्री बखतराम
पता :- निवास- सिंघनपुरी, पो. कवर्धा, तह.कवर्धा
व्यवयाय स्थल :- सिंघनपुरी, पो. कवर्धा, तह.कवर्धा जिला कबीरधाम
वितरित ऋण राषि :- 1,50,000/-
(1,00,000/-दुकान निर्माण, 50,000/- कार्यषील पूंजी
व्यवसाय का नाम :- किराना दुकान
वर्श :- 2013.14

मैं षौखीराम पिता श्री बखतराम ग्राम सिंघनपुरी, पोस्ट कवर्धा तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम का हूं। मेरा षैक्षणिक योग्यता पांचवी तक प्राप्त है। मेरा परिवार में मैं पत्नी एवं दो बच्चे है। वार्शिक आर्य 25000/– है। दुकान निर्माण हेतु मेरे पास स्वयं का जमीन उपलब्ध था, परन्तु पूंजी के अभाव में दुकान निर्माण संभव नहीं था। एक दिन दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण मिनीमाता स्वावलम्बन योजना का जानकारी प्राप्त हुआ, तत्काल जिला अंत्यावसायी कार्यालय में उपस्थित होकर आवष्यक दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत किया, मेरे आवेदन का जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन कर मुझे काउंसलिंग हेतु बुलाया गया। विभाग द्वारा मुझे व्यवसाय संचालित हेतु उद्यमिता विकास प्रषिक्षण कबीरधाम (सेडमैप) द्वारा मिनीमाता स्वावलम्बन एवं कौषल उन्नयन कार्यक्रम प्रषिक्षण प्राप्त किया है। इस योजना में मुझे 1,00,000/– रू. दुकान निर्माण एवं 50000/– रू. कार्यषील पूंजी के रूप में, कुल 1,50,000/– रू. दिया गया। उक्त राषि से दुकान निर्माण कर किराना दुकान व्यवसाय संचालित कर रहा हूं। मासिक किष्त अदायगी के बाद 8000/– प्रतिमाह आय हो रहा है। इस योजना की वजह से मुझे एक जीवन यापन का साधन मिल गया है, जिसका श्रेय मैं छ.ग. षासन के इस महत्पूर्ण योजना को देता हूं। इसके लिए जिला प्रषासन कबीरधाम का आभारी हूं।

अनुसूचित जाति मिनीमाता स्वावलम्बन योजना

(सफलता की कहानी)

नाम :– श्री रज्जुराम लांझी

पिता का नाम :– श्री सगराम लांझी

पता :– ग्राम–रैतापारा, पोस्ट–मोहगांव, तहसील–पण्डरिया
जिला कबीरधाम

व्यवसाय स्थल :– ग्राम–रैतापारा, पोस्ट–मोहगांव, तहसील–पण्डरिया

वितरित ऋण राषि :– 1,00,000/–
(60000/–दुकान निर्माण, 40000/– कार्यषील पूंजी

व्यवसाय का नाम :– सायकल स्पेयर पार्ट्स

वर्श :– 2010–11

मैं दैनिक मजदुरी करता था व अपने मकान पर ही छोटे रूप में किराना का व्यवसाय कर जीवन–यापन कर रहा था। दुकान निर्माण हेतु मेरे पास स्वयं का जमीन उपलब्ध था, परन्तु पूंजी के अभाव में दुकान निर्माण नहीं कर पा रहा था। तभी दैनिक समाचार पत्र पढ़ते–पढते पता चला कि अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के मिनीमाता स्वावलम्बन योजना के तहत दुकान निर्माण एवं व्यवसाय के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम में आवेदन मंगाये गये है। मैं तत्काल कार्यालय से संपर्क कर आय, जाति, निवास एवं जमीन का दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत किया। मेरे आवेदन का जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन कर मुझे काउंसलिंग हेतु बुलाया गया। विभाग द्वारा मुझे व्यवसाय संचालित हेतु उद्यमिता विकास प्रषिक्षण कबीरधाम (सेडमैप) द्वारा मिनीमाता स्वावलम्बन एवं कौषल उन्नयन कार्यक्रम प्रषिक्षण प्राप्त किया है। जिसमें मुझे 60000/– रू. दुकान निर्माण एवं 40,000/– रू. कार्यषील पूंजी के रूप में, कुल 1.00 लाख रू. दिया गया। उक्त राषि से दुकान निर्माण कर किराना दुकान के साथ ही सायकल स्पेयर पार्टस का भी दुकान संचालित कर रहा हूं। मै निर्धारित मासिक किष्त नियमित समयावधि जमा कर दिया हूं। वर्तमान में मेरे आय 12000/– है। मेरे आर्थिक स्थिति में सुधार आया। समाज में प्रतिश्ठा बढ़ी व निर्मित एवं संचालित दुकान का मालिकाना हक मुझे मिल गया। मेरा बेरोजगारी दुर हुआ। इसका श्रेय छ.ग. षासन एवं जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम को देता हूं।

अनुसूचित जाति मिनीमाता स्वावलम्बन योजना

(सफलता की कहानी)

नाम :– श्री बद्रीप्रसाद लांझेकर

पिता का नाम :– श्री उदेराम लांझेकर

पता :– ग्राम–मोहतराकला पोस्ट कोलेगांव तहसील–पण्डरिया
जिला कबीरधाम

व्यवसाय स्थल :– ग्राम–मोहतराकला पोस्ट कोलेगांव तहसील–पण्डरिया

वितरित ऋण राषि :– 1,00,000/–
(60000/–दुकान निर्माण, 40000/– कार्यषील पूंजी

व्यवसाय का नाम :– सायकल स्टोर एवं किराना दुकान

वर्श :– 2010–11

मैं श्री बद्रीप्रसाद लांझेकर पिता श्री उदेराम लांझेकर ग्राम मोहतराकला पोस्ट कोलेगांव, तह. पण्डरिया जिला कबीरधाम का हूं, मेरा जाति अहिरवार मैं षिक्षा दसवी तक प्रापत किया हूं। मेरा वार्शिक आय 12000/– था। बेरोजगार था, दुकान निर्माण हेतु मेरे पास स्वयं का जमीन था, सायकल रिपेयरिंग का कार्य के मालूम था। दुकान बनाकर सायकल रिपेयरिंग का कार्य करना चाह रहा था। परंतु पूंजी के आभाव में असंभ था। तभी दैनिक समाचार पत्र पढ़ते–पढते पता चला कि अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के मिनीमाता स्वावलम्बन योजना के तहत दुकान निर्माण एवं व्यवसाय के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम में आवेदन मंगाये गये है। मैं तत्काल कार्यालय से संपर्क कर आय, जाति, निवास एवं जमीन का दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत किया। मेरे आवेदन का जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन कर मुझे काउंसलिंग हेतु बुलाया गया। विभाग द्वारा मुझे व्यवसाय संचालित हेतु उद्यमिता विकास प्रषिक्षण कबीरधाम (सेडमैप) द्वारा मिनीमाता स्वावलम्बन एवं कौषल उन्नयन कार्यक्रम प्रषिक्षण प्राप्त किया है। जिसमें मुझे 60000/– रू. दुकान निर्माण एवं 40,000/– रू. कार्यषील पूंजी के रूप में, कुल 1.00 लाख रू. दिया गया। उक्त राषि से दुकान निर्माण कर सायकल स्टोर के साथ ही किराना दुकान का भी दुकान संचालित कर रहा हूं। मै निर्धारित मासिक किष्त नियमित समयावधि जमा कर दिया हूं। वर्तमान में मेरे आय 12000/– है। मेरे आर्थिक स्थिति में सुधार आया। समाज में प्रतिश्ठा बढ़ी व निर्मित एवं संचालित दुकान का मालिकाना हक मुझे मिल गया। मेरा बेरोजगारी दुर हुआ। इसका श्रेय छ.ग. षासन एवं जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम को देता हूं।

अनुसूचित जाति मिनीमाता स्वावलम्बन योजना

(सफलता की कहानी)

नाम	:–	श्री रमेषकुमार खरे
पिता का नाम	:–	स्व.श्री आभेराम खरे
पता	:–	निवास– रविदास नगर वार्ड नं. 03, कवर्धा, तह.कवर्धा जिला कबीरधाम
व्यवसाय स्थल	:–	रविदास नगर वार्ड नं. 03, कवर्धा, तह.कवधा
वितरित ऋण राषि	:–	1,50,000/– (1,00,000/–दुकान निर्माण, 50,000/– कार्यषील पूंजी
व्यवसाय का नाम	:–	हालर मिल आटा चक्की
वर्श	:–	2013.14

श्री रमेषकुमार पिता श्री आभेराम खरे, निवासी रविदास नगर वार्ड नं. 03 कवर्धा बेरोजगार था, रोजगार करने का इच्छा थी, परंतु उनके पास कोई व्यावसायिक पृश्ठ भूमि नहीं था, एवं स्वयं के पास साधन एवं पूंजी नहीं था। दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण मिनीमाता स्वावलम्बन योजना का जानकारी प्राप्त हुआ, तत्काल जिला अंत्यावसायी कार्यालय में उपस्थित होकर आवष्यक दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत किया, मेरे आवेदन का जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन कर मुझे काउंसलिंग हेतु बुलाया गया। विभाग द्वारा मुझे व्यवसाय संचालित हेतु उद्यमिता विकास प्रषिक्षण कबीरधाम (सेडमैप) द्वारा मिनीमाता स्वावलम्बन एवं कौषल उन्नयन कार्यक्रम प्रषिक्षण प्राप्त किया है। इस योजना में मुझे 1,00,000/– रू. दुकान निर्माण एवं 50000/– रू. कार्यषील पूंजी के रूप में, कुल 1,50,000/– रू. दिया गया। उक्त राषि से दुकान निर्माण कर हालर मिल आटा चक्की व्यवसाय संचालित कर रहा हूं। मासिक किष्त अदायगी के उपरांत षुद्ध रूप से 12000/– आय प्राप्त हो रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस योजना की वजह से मुझे एक जीवन यापन का साधन मिल गया है। आर्थिक रूप से स्वावलम्बन बना । जिसका श्रेय मैं छ.ग. षासन के इस महत्पूर्ण योजना को देता हूं। इसके लिए जिला प्रषासन कबीरधाम का आभारी हूं।

अनुसूचित जाति मिनीमाता स्वावलम्बन योजना

(सफलता की कहानी)

नाम :– श्री श्रीपाल बर्वे

पिता का नाम :– श्री बेनीराम बर्वे

पता :– निवास– छिरपानी, पो. गोदवागोड़ान, तह. पण्डरिया जिला कबीरधाम

व्यवसाय स्थल :– छिरपानी, पो. गोदवागोड़ान, तह. पण्डरिया जिला कबीरधाम

वितरित ऋण राषिः– 1,50,000/–
(1,00,000/–दुकान निर्माण, 50,000/–कार्यषील पूंजी

व्यवसाय का नाम :– सायकल स्टोर

वर्श :– 2013.14

मैं श्रीपाल बर्वे पिता श्री बेनीराम बर्वे ग्राम छीरपानी पोस्ट गोदवागोड़ान, तहसील पण्डरिया जिला कबीरधाम का हूं। मेरा षैक्षणिक योग्यता पांचवी तक है। मेरा वार्शिक आय 20,000/- है। मेरा जाति अहिरवार है। दुकान निर्माण हेतु मेरे पास स्वयं का जमीन उपलब्ध था, जिसमें दुकान निर्माण कर व्यवसाय संचालित करना चाह रहा था, परन्तु गरीबी के आभाव में उक्त सपना असंभव था। तभी दैनिक समाचार पत्र पढ़ते-पढते पता चला कि अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के मिनीमाता स्वावलम्बन योजना के तहत दुकान निर्माण एवं व्यवसाय के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम में आवेदन मंगाये गये है। मैं तत्काल कार्यालय से संपर्क कर आय, जाति, निवास एवं जमीन का दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत किया। मेरे आवेदन का जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन कर मुझे काउंसलिंग हेतु बुलाया गया। विभाग द्वारा मुझे व्यवसाय संचालित हेतु उद्यमिता विकास प्रषिक्षण कबीरधाम (सेडमैप) द्वारा मिनीमाता स्वावलम्बन एवं कौषल उन्नयन कार्यक्रम प्रषिक्षण प्राप्त किया है। जिसमें मुझे 60000/- रू. दुकान निर्माण एवं 40,000/- रू. कार्यषील पूंजी के रूप में, कुल 1.00 लाख रू. दिया गया। उक्त राषि से दुकान निर्माण कर सायकल स्पेयर पार्ट्स के साथ ही जुता चप्पल का भी दुकान संचालित कर रहा हूं। मै निर्धारित मासिक किष्त नियमित रूप से समय पर जमा कर रहा हूं। वर्तमान में मेरे आय 10000/- है। मेरे आर्थिक स्थिति में सुधार आया। समाज एवं गांव में प्रतिश्ठा बढ़ी। गांव में मुझे ग्राम पंचायत छीरपानी का सरपंच बनाया गया। इसका श्रेय छ.ग. षासन एवं जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम को देता हूं।